राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सातवें सम्मेलन में उद्घाटन भाषण

----

16 January, 2020

लखनऊ

सर्वप्रथम यहां उपस्थित सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और आभार।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA, India Region) के सातवें सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का दिल कहे जाने वाले शहर लखनऊ में पधारे मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मैं इस सम्मेलन में देश की सभी विधान सभाओं एवं विधान परिषदों से आए अध्यक्षों, सभापतियों एवं प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

I extend a hearty welcome to distinguished guests from Australia and Malaysia and I wish them a pleasant stay in India, especially in historic City of Lucknow.

मैं इस मंच से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं।

CPA, India Region Conference के आयोजन एवं शानदार मेहमानवाजी के लिए मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष माननीय श्री हृदय नारायण दीक्षित जी और उत्तर प्रदेश सरकार को हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ।

साथियो, इससे पूर्व सीपीए, इंडिया रीजन का छठा सम्मेलन पटना में हुआ था जहां सतत विकास लक्ष्य सहित विविध मुद्दों पर सारगर्भित चर्चा हुई थी और सभी प्रतिभागियों ने उसमें रचनात्मक सहयोग किया था। अब हम लोग गोमती के किनारे बसी सुन्दर नगरी लखनऊ में चर्चा, विचार-विमर्श एवं अंतरसंवाद के लिए एकत्रित हुए हैं।

लखनऊ शहर की अपनी एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रही है। इस शहर के लिए एक बड़ी पुरानी कहावत है – 'मुस्कुराइए! आप लखनऊ में हैं।' उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति के गढ़ के रूप में जाना जाता है जिसने देश को सदैव सक्षम नेतृत्व दिया है। आज लखनऊ की पवित्र धरती पर खड़े होकर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज ही पुण्य स्मरण हो आता है।

साथियो, हमारा लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारे देश के लिए कोई नई अवधारणा नहीं है। वास्तव में यह हमें प्राचीन काल से ही विरासत में मिला है।

वैदिक काल से लेकर आज तक लोकतंत्र में हमारी आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरअसल लोकतंत्र हमारे राष्ट्र की धड़कन है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने बड़ी-बड़ी बाधाओं का सामना करते हुए अपने संविधान तथा शासन की लोकतान्त्रिक प्रणाली को सुरक्षित बनाये रखा है।

गत सात दशकों के दौरान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में हमारी संसद की उपलब्धियां उल्लेखनीय रही हैं। हमारी संसद हमारे संविधान के उच्च आदर्शों जैसे कि सहभागी लोकतंत्र, सामाजिक और धार्मिक बहुलवाद, सामाजिक न्याय तथा नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

हमारा संसदीय लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण के चुनौतीपूर्ण कार्य में न केवल एक सशक्त और रचनात्मक शक्ति रहा है अपितु यह नियोजित आर्थिक विकास, प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के शांतिपूर्ण परिवर्तन तथा सामाजिक और

आर्थिक अल्प विकास की स्थितियों से निर्धनों के उत्थान के प्रति भी प्रतिबद्ध रहा है। यही कारण है कि वंचित और पददलित वर्गों सहित हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को संसद और विधान मंडलों में उनका उचित प्रतिनिधित्व मिला है।

लोकसभा, राज्य विधान मंडलों तथा अन्य लोकतांत्रिक निकायों के आवधिक चुनावों का सफल संचालन तथा निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस प्रणाली में उनकी अगाध आस्था और विश्वास को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया है।

अपने-आप में यह तथ्य ही एक महान उपलब्धि है कि मानव जाति का छठा भाग एक ऐसे देश में निवास करता है जहां संसदीय शासन प्रणाली है। भारत के लोगों की सहज लोकतांत्रिक आस्था ही वास्तव में हमारी ताकत है।

आज़ाद भारत में चुनाव-दर-चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया में लोगों की उतरोत्तर बढती भागीदारी इस बात का सशक्त प्रमाण है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ा है। जितना लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उतनी ही हमारी उनके प्रति जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस एवं मीडिया ने हमारे लोकतंत्र को और मजबूत किया है। अपनी इसी विरासत को सहेजते हुए हम आज सीपीए, भारत क्षेत्र के इस सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं।

साथियो, इस बार हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही सामयिक एवं प्रासंगिक है। वह विषय है 'विधायक की भूमिका'। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए यह विषय विशेष महत्व रखता है।

मैं मानता हूं कि प्रत्येक सांसद और विधायक राष्ट्र के आदर्शों, आशाओं और विश्वास का अभिरक्षक है।

जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। हालांकि सदस्यों को अपने संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन बेरोक-टोक करने के लिए सक्षम बनाने हेतु विशेष अधिकार दिए गए हैं किंतु इन विशेष अधिकारों के साथ कुछ दायित्व भी जुड़े हुए हैं। सदन के भीतर और बाहर गरिमापूर्ण आचरण सदस्य के प्राथमिक दायित्वों में से एक है।

विधानसभा और संसद के साथ एक लंबे अरसे से संबद्ध रहने के दौरान मैंने सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों ही दलों के दिग्गजों को निकट से देखा है और उनकी बात सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है।

मुझे यह देखकर दु:ख होता है कि पक्ष और प्रतिपक्ष में एक दूसरे के विचारों को सुनने के इच्छुक रहने की प्रवृत्ति कम हो रही है। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। राजनीतिक बहुलवाद हमारे लोकतंत्र का मर्म है। इसी से संसदीय वाद-विवाद में जीवंतता और सक्रियता का संचार होता है। संसदीय आचरण का पहला सिद्धांत इस बात में विश्वास रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है बशर्ते इसे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर रहकर अभिव्यक्त किया जाए।

सदस्यों को समझना होगा कि वाक्- स्वातंत्र्य के बिना ज्ञानपूर्ण वाद-विवाद नहीं हो सकता किंतु व्यवस्था के बिना तो वाद-विवाद हो ही नहीं सकता और इससे एक विमर्शी निकाय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

यदि संसदीय लोकतंत्र को फलना-फूलना है और गहरी जड़ें जमानी हैं तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ करना होगा। यह तभी संभव है जब इसके संजोए हुए मूल्यों को सभी संबंधित व्यक्तियों, विशेष रूप से विधायकों और सांसदों द्वारा आत्मसात किया जाए।

असहमति एक लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है किंतु इसे लोकतांत्रिक मानदंडों के भीतर रहते हुए अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। लोगों की अपेक्षाओं और आशाओं का रचनात्मक ढंग से समर्थन करने के माध्यम से ही संसद और राज्य विधान मंडलों के उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है।

संसद और राज्य विधान मंडलों में होने वाले वाद-विवाद के दौरान कभी-कभी आवेश और गरमा-गरमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह कोई असामान्य बात नहीं है किंतु इसे अशोभनीय व्यवहार का रूप धारण करने से रोकने की आवश्यकता है।

सदस्यों को अपनी बात सशक्त और भाव पूर्ण ढंग से रखनी चाहिए किन्तु उन्हें प्रचंड, अपमानजनक और व्यक्तिगत आक्षेप वाली बात कहने से बचना चाहिए। इसके लिए निस्संदेह योग्यता की आवश्यकता होती है। इसके लिए कार्य के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रत्येक कार्य के संबंध में आवश्यक है। किंतु इसके साथ ही, बहुत अधिक सहयोग, आत्मानुशासन, संयम और शालीनता की भी आवश्यकता होती है।

हमारे विधान मंडलों में यह सर्वाधिक महत्व की बात है कि अध्यक्षपीठ के प्राधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाए, उसे बनाए रखा जाए। साथ-ही-साथ पीठासीन अधिकारियों को सदस्यों की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए और कुल मिलाकर सदस्यों और सदन के समक्ष अपने व्यवहार में ईमानदारी और निष्पक्षता दिखानी चाहिए।

साथियो, किसी लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करता है क्योंकि जनप्रतिनिधि निरंतर जनता के साथ अंतर-संवाद करता रहता है एवं उनकी समस्याओं और चुनौतियों को भलीभांति समझते हुए सरकार के समक्ष उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को प्रस्तुत करता है।

विधायक नीति निर्माण में भी आम नागरिकों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का वाहक होता है। अत:, विधायकों का यह कर्त्तव्य बनता है कि किसी भी नीति के निर्माण के वक्त उनका पक्ष मजबूती से रखे और आम नागरिकों के सरोकारों के अनुरूप सरकार की नीतियों को यथासंभव प्रभावित करे।

संसद और विधान मंडलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जनता की बातों को सरकार के समक्ष पेश करने तथा सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। इन साधनों के माध्यम से आम जनता के हित के विशिष्ट मामले उठाए जा सकते हैं और इन पर चर्चा की जा सकती है। मेरा तात्पर्य यह है कि सदस्यों को विधान मंडलों में उपलब्ध हर साधनों का समुचित उपयोग करना चाहिए।

प्रश्न काल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब-तलब करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अत: सभी सदस्यों को प्रश्नकाल का प्रभावी उपयोग करना जरूरी है।

प्रश्न काल के अलावा शून्य काल भी सदस्यों का काल है, जिसमें जनप्रतिनिधिगण दैनिक एजेंडा से अलग विभिन्न अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं। इसलिए शून्य काल का उपयोग अधिकाधिक मुद्दों को उठाने में किया जाना चाहिए।

मेरा यह मानना है कि हमें सभी सांसदों और विधायकों को शून्य काल में अधिक से अधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए हमें शून्य काल का समय भी बढाना चाहिए ताकि सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखने का मौका मिले।

हमारे विधानमंडलों का एक और मुख्य कार्य जनता की ओर से सरकार के कार्य, उसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर निगरानी रखना है और विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद और विधान मंडलों में अन्य साधनों के अतिरिक्त सशक्त और सुदृढ़ समिति प्रणाली उपलब्ध है।

संसदीय और विधान मंडलों की समितियां सरकार के बजट, नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं एवं उसके कार्यान्वयन का मूल्यांकन करती है और अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं।

इस प्रणाली में सदस्यों को अपने सुविचारित राय को व्यक्त करने की आज़ादी रहती है क्योंकि समिति की बैठक गोपनीय होती है। सदस्यगण विभिन्न मुद्दों पर अपनी दलगत प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर अपनी सुविचारित राय एवं कीमती सुझाव समिति को देते हैं।

संसदीय समितियां सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने के अतिरिक्त, पारदर्शिता और जवाबदेही के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं।

मुख्य विषय के अतिरिक्त हमलोग दो अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आपस में चर्चा और अंतरसंवाद करेंगे। पहला विषय है ''बजटीय प्रस्तावों की संवीक्षा के संबंध में विधायकों का क्षमता निर्माण।''

बजट सरकार का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक नीति उपकरण है और यह सरकार की प्राथमिकताओं का एक व्यापक विवरण उपलब्ध कराता है। जनता के प्रतिनिधि निकायों के रूप में, संसद और विधान मंडल यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि बजट उपलब्ध संसाधनों के साथ देश की जरूरतों और जनता की अपेक्षाओं से मेल खाता हो।

बजटीय प्रक्रिया में प्रभावी विधायी भागीदारी, नियंत्रण और संतुलन स्थापित करती हैं, जो पारदर्शी और जवाबदेह शासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इसलिए बजट पर संसद और विधानसभाओं में सार्थक और उपयोगी चर्चाएं हो सके, इसके लिए सदस्यों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। सदस्यों को बजट प्रस्तावों की संवीक्षा से संबंधित नियमों, प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों का भी ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरा विषय ''विधायी कार्यों की ओर विधायकों का ध्यान केंद्रित करना'' है जो एक विधायी निकाय के रूप में विधान मंडलों के प्रभावी कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।

लोकतंत्र में विधि के अनुसार शासन चलता है। इसलिए, विधि निर्माण लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को आकार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह जरूरी है कि विधायकों को विधायी प्रक्रियाओं के विविध पहलुओं का बोध हो। उन्हें नियमों और प्रक्रियाओं का गहन ज्ञान और संवैधानिक प्रावधानों की पर्याप्त समझ हो। साथ ही, उन्हें हमारे संसदीय रीति-रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं की उचित जानकारी भी होनी चाहिए। इसके लिए हर विधान मंडल में सदस्यों के उपयोग हेतु पुस्तकालय एवं सन्दर्भ सेवा उपलब्ध होती है। माननीय सदस्यों को इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

साथियो, मैं यहां आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हाल ही में देहरादून में सम्पन्न हुई भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में संसद और विधान मंडलों की भूमिका को और प्रभावी बनाने एवं जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को और सशक्त करने के उद्देश्य से हमने कई महत्वपूर्ण संकल्प पारित किए थे जैसे कि सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने के लिए और व्यवधान को रोकने के लिए सभी विधान सभाएं, विधान परिषद, लोक सभा और राज्य सभा द्वारा कठोर नियम बनाए जाएं एवं सदस्यों के सभा के 'वेल' यानी गर्भगृह में आने पर उनके विरूद्ध तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित हो।

साथियो, सभा की मर्यादा इसी में है कि सभा में वाद-विवाद हो, चर्चा हो, सहमति-असहमति भी रहे परंतु सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। विरोध में भी गतिरोध न हो, व्यवधान न हो। मतलब यह कि सभा में डिबेट और डिस्कशन हो, डिसेंट भी हो, पर कोई डिसरप्शन न हो।

सदन राष्ट्र को वाणी देने वाला मंच है। यह राष्ट्र से और राष्ट्र के लिए बोलता है। अतः सदन की कार्यवाही का बाधारहित और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।

यदि संसद और विधान मंडलों में निरंतर अव्यवस्था और व्यवधान की स्थिति बनी रहेगी तो समय के साथ उठने वाले प्रश्नों का समाधान करना तो दूर की बात है, ये संस्थाएं कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी।

अतः, निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकार और राजनीतिक दलों को इस महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वाह करना है कि हमारी राजनीतिक प्रणाली की प्रधान संस्थाओं का कार्य बाधारहित और सार्थक ढंग से तथा गरिमा और शालीनता के साथ संपादित हो।

इसका मतलब यह नहीं है कि संसद और विधान मंडलों को निस्तेज और नीरस बना दिया जाए। विधान मंडल को सक्रियता से भरा एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो वाद-विवादों, तर्क-वितर्क से गुंजायमान हो तथा हाजिर-जवाबी और हास-परिहास से जीवंत हो।

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लोक सभा के पिछले दो सत्रों में व्यवधान नहीं के बराबर हुआ है। पहले सत्र में तो कोई व्यवधान हुआ ही नहीं। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि जहां पहले सत्र की कार्य उत्पादकता 125 प्रतिशत रही, वहीं दूसरे सत्र की 115 प्रतिशत।

इसके अलावा देहरादून में सभी विधान मंडलों के नियमों में एकरूपता लाने के लिए पीठासीन अधिकारियों में आपस में चर्चा हुई।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन प्रयासों से भारत के विधान मंडलों की क्षमता और कार्यकुशलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और राष्ट्रमंडल के भारत क्षेत्र में संसदीय लोकतंत्र और मजबूत होगा।

हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार है – लोगों की संप्रभुता, विधायिका की प्रमुखता तथा सर्वोच्चता, कार्यपालिका की जिम्मेदारी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

हमारे संसदीय लोकतंत्र का भविष्य तभी उज्ज्वल रह सकता है यदि शक्तियों के विभाजन की इस उच्च अवधारणा का समन्वित संचालन हो।

पर, अपने संसदीय अनुभव से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यह सब लोकतंत्र की शक्ति साबित होगा अगर हम सबके मन में पहला विचार निःस्वार्थ रूप से जन-कल्याण हो, अन्त्योदय हो।

महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो भी कार्य करें उससे समाज के सबसे गरीब, उपेक्षित और वंचित व्यक्ति को उसका लाभ मिले। हम जनप्रतिनिधिगण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सीपीए, भारत क्षेत्र का लखनऊ में आयोजित यह सम्मेलन बहुत सफल होगा।

मैं आशा करता हूँ कि यहां पधारे सभी प्रतिभागी एवं विधायकगण विभिन्न चर्चाओं में बढ-चढकर हिस्सा लेंगे एवं यहां होने वाली विभिन्न चर्चा बहुत उपयोगी और प्रेरक साबित होगी। हम यहां चर्चा किए गए विषयों पर व्यापक जानकारी प्राप्त करके लौटेंगे।

मैं इस सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी; उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री

राम गोविन्द चौधरी जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति श्री रमेश यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े गर्मजोशी से हमारा आतिथ्य सत्कार किया और सम्मेलन के लिए उत्कृष्ट व्यवस्था की।

मैं यहां पधारे सीपीए के ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया के प्रतिनिधि, समस्त पीठासीन अधिकारीगण, माननीय विधायकगण सहित सभी प्रतिभागियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

मुझे यकीन है कि सम्मेलन के दौरान विशिष्ट प्रतिनिधियों का प्रवास आरामदायक रहेगा तथा यहां पधारे सभी सम्माननीय जन लखनऊ प्रवास की सुखद स्मृतियों के साथ अपने घर लौटेंगे।